

प्ररूप-क
(देखिए नियम 4 (4) (I))

मतदाता सूची में नाम शामिल करने/किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे वार्डों में नाम रखने के लिए आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

नगर परिषद्/नगर पालिका वार्ड संख्या.....

या

उपायुक्त.....

इस ही में बीमा नाम फरफोट कराने का फोटो (3.00 सेमी X 3.00 सेमी) जिसमें इस कला के नीचे पूरे बैचरे में सामने की आकृति स्पष्ट हो, प्रिपकने के लिए लगाए

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त नगर परिषद्/नगर पालिका के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि की जाए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाए ।

मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

| आवेदक के ब्यौरे | नाम | उपनाम (यदि कोई हो) |
|----------------------|-----|--------------------|
| | | |
| पिता/माता/पति का नाम | नाम | उपनाम (यदि कोई हो) |
| | | |

1. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रम संख्या भाग नं0..... में उल्लेख किया गया है, लेकिन नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है जो अब वार्ड नं0..... में शामिल किया जा सकता है।
2. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रम संख्या भाग नं0 में शामिल किया गया है और मेरा नाम नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची के वार्ड संख्या में शामिल किया जाये।
3. कि मतदाता सूची में प्रविष्टि इस तरह सही किया जाए इस आधार पर कि

4. कि मेरा नाम वार्ड नं० की बजाय वार्ड नं० में प्रविष्टि किया जाये।
5. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे परन्तु नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची में के रूप में यथा वर्णित है और इसे के रूप में सही करने के लिए अनुरोध है।

6. घोषणा:

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :

दिनांक :

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
आवेदन का पूरा पता

मोबाईल नं०

टिप्पण :- कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(नगर परिषद्/नगर पालिका के पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी..... के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्वय रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है/ *नामंजूर कर दिया गया है।

*स्वीकार करने या नामंजूर करने [हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम-4 के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण:

.....

.....

.....

| | | |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|
| स्थान : | पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर | (पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर) |
| तारीख : | | |

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदामिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप क में श्री/श्रीमती/कुमारी पता.....

..... से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनांक :-

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान



प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना (प्रार्थी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी जो नगर परिषद/पालिका
..... का निवासी है, से प्ररूप क में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक को बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

दिनांक :-

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन

प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(पता

.....)

नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूचि में मतदाता सूचि में नाम शामिल करने/किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिये या किसी दूसरे बाडों में नाम रखने बारे आवश्यक जानकारी।

1. नगर परिषद्/नगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूचि तैयार करना ?

किसी भी नगर परिषद्/नगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूची, विधानसभा की तत्समय उस क्षेत्र के लिए लागू मतदाता सूचि के आधार पर तैयार की जायेगी। नगर परिषद्/नगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूचि में केवल उन्ही व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे जिनका नाम उस समय विधानसभा की सम्बन्धित क्षेत्र के लिए लागू मतदाता सूचि में सम्मिलित हों।

2. प्रारूप-क कौन दाखिल कर सकता है ?

नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूचि में नाम शामिल करवाने के लिए केवल वही व्यक्ति प्रारूप-क में पुनरीक्षण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जिसका नाम विधानसभा की तत्समय लागू उस क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो परन्तु किसी कारणवश नगर परिषद्/नगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूचि में सम्मिलित न हो पाया हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति प्रारूप मतदाता सूचि की किसी प्रविष्टि में शुद्धि करवाना चाहता है या अपना नाम किसी दूसरे बाडों में रखना चाहता है, तो वह भी प्रारूप-क में अपना आवेदन पुनरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

3. प्रारूप-क कहां से प्राप्त करें ?

प्रारूप-क राज्य निर्वाचन आयोग/जिला प्रशासन की वेब-साईट से प्राप्त किये जा सकते हैं या सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी/रिवाइजिंग अथोरिटी या अधिकृत क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी या अधिकृत स्थान या VICCs जहां मतदाता सूचि जनता के निरीक्षण के लिये रखी गई है, बिना किसी मूल्य के प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. प्रारूप-क कब दाखिल किया जा सकता है?

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचि बनाने/संशोधन के कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत निर्धारित समय अवधि के भीतर ही प्रारूप-क दाखिल किया जा सकता है। इस बारे में सूचना हेतु स्थानीय समाचार पत्रों व लोकल केबल नेटवर्क से भी व्यापक प्रचार कराया जाता है।

5. प्रारूप-क कहां दाखिल किया जाये?

मतदाता सूचि बनाने/संशोधन की अवधि के दौरान आवेदन उपायुक्त द्वारा अधिसूचित स्थानों पर दाखिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद्/नगर पालिका जिसकी मतदाता सूचि बनाई/संशोधित की जा रही है के क्षेत्र में उपायुक्त द्वारा स्थापित मतदाता

सूचना एवं संग्रह केन्द्रों पर भी दाखिल किये जा सकते हैं। आवेदक को अपने आवेदन उपरान्त आवेदन की रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

6. प्ररूप-क कैसे भरे ?

- (i) आवेदक अपना आवेदन पत्र (प्ररूप-क) पूर्णरूप से भरकर तथा उस पर पासपोर्ट के आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चरपा कर प्रस्तुत करेगा।
- (ii) आवेदक अपना नाम मतदाता सूचि में नाम शामिल करने/किरी प्रविष्टि की शुद्धि के लिये या किसी दूसरे वार्ड में नाम रखने के लिये खाली स्थान में निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के नाम का उल्लेख करेगा।
- (iii) यदि कोई सन्देह हो तो आवेदक को सम्बन्धित रिवाइजिंग अधिकारी या संग्रह केन्द्र से सम्पर्क किया जाना चाहिये।

7. सावधानी एवं आवश्यक जानकारी

आवेदक को प्ररूप-क में कोई गलत या झूठी सूचना नहीं देनी चाहिये। यदि कोई गलत या झूठी सूचना पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

8. क्या कोई व्यक्ति मतदाता सूचि के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् मतदाता बन सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित वार्डवार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह वार्डवार मतदाता सूचि में अपना नाम जोड़ने/संशोधन हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकता है। परन्तु नगर परिषद्/नगर पालिका के मतदाताओं की वार्डवार मतदाता सूचि में नाम तभी जोड़ा/संशोधन किया जायेगा, यदि दावेदार/आवेदक का नाम नगर परिषद्/नगर पालिका के निर्वाचन के लिये नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधान सभा की निर्वाचक सूचि के सम्बन्धित भाग में विद्यमान है।

9. विशेष दिशा निर्देश

सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदक का नाम उस क्षेत्र की तत्कालीन लागू विधानसभा की मतदाता सूचि के सम्बन्धित भाग में सम्मिलित है अथवा नहीं।

प्ररूप-ख

(देखिए नियम 4 (4)(i))

मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्टि नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

नगर परिषद/नगर पालिका वार्ड संख्या.....

या

उपायुक्त.....

इस डी में बंधक नाम
नगरपरिषद/नगरपालिका को
(उपरोक्त संख्या) व 3000
संख्या) जिसमें उपरोक्त
के भीतर पुनः चयन के
समय में आवेदन प्राप्त
हो, विषयको के लिए प्रमाण

महोदय,

/मैं उपर्युक्त नगर परिषद/नगर पालिका के लिए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:

/मैं निवेदन करता हूँ कि *मुझसे/*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है।

| आवेदक के बारे में | नाम | उपनाम (यदि कोई हो) |
|----------------------|-----|--------------------|
| | | |
| पिता/माता/पति का नाम | नाम | उपनाम (यदि कोई हो) |
| | | |

1. कि श्री/श्रीमति/कुमारी का नाम नगर परिषद/नगर पालिका की मतदाता सूची के वार्ड नं० की क्रम संख्या पर अंकित है, लेकिन यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह नगर परिषद/नगर पालिका की हद में नहीं है।

2. कि श्री/श्रीमति/कुमारी का नाम वार्ड नं० की जगह वार्ड नं० में शामिल किया जाए।

3. घोषणा :

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन का पूरा पता

मोबाईल नं०

टिप्पण:- कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(नगर परिषद/नगर पालिका के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप ख में मतदाता सूची में श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को 'सम्मिलित किए जाने पर/हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन' स्वीकार कर लिया गया है / नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने या नामंजूर करने [हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (1973 का 24) के नियम 4 के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान :

तारीख :

पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदानिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप ख में श्री/श्रीमती/कुमारी पता
 से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज
 रजिस्टर की क्रम संख्या में प्रविष्टि किया गया है।
 सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे व आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनांक :-

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान



प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना
 (प्रार्थी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी जो नगर परिषद्/नगर पालिका
 का निवासी है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने
 कार्यालय में दिनांकको बजे की जायेगी।
 उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते
 हैं।

दिनांक :-

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन
 प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(पता

.....)
